

मा. कृ.अ.प. उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र
भा. कृ. अ. प. केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान
गडसा (कुल्लू) हि.प्र. 175141

क्रमांक: 7(54)एग/2015/

५९८.


दिनांक : 11.09.2015

कुटेशन सूचना

इस केन्द्र के प्रशासनिक तथा लेखाअनुमान ने कार्यलय सम्बन्धीय ऊनस्टूर कार्य को अनुबन्ध के अधार पर प्रस्तुत के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों/प्राइवेट पार्टी से अपनी उचित व न्यूनतम दर मार्सिंक आधार पर प्रस्तुत करने के लिए पुरुण डायरेक्टर किये जाते हैं । साथ ही ठेकेदार के पास नं. ० होना आवश्यक है । ठेकेदार की आयु ६० वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा सेवानिवृत्त सैनिकों के वरीयता दी जायेगी ।

नियम व शर्तें :

- १ कुटेशन सादा कागज पर इस केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के नाम अन्दर लिखाएं मे स्पीकार किये जाएंगे, कुटेशन केन्द्र में दिनांक 29.09.2015 तारीख के ११.०० बजे माझ प्रस्तुत करना है । सर्वांगी / लार द लार द्वारा ऐसी गई तथा देर से प्राप्त कुटेशनों पर कोई पिचार नहीं लिया जाएगा । कुटेशन उसी दिन दोपहर १२-०० बजे कुटेशनदाता के समक्ष खोले जायेंगे । कुटेशन दाता के पास पेन नं० अनिवार्य होना चाहिये जिस की प्राप्ति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होगी ।
 - २ ठेकेदार को कुटेशन के साथ १०००-०० रुपये मात्र साई राशि के रूप में बैंक ड्रायर जो सी. एस. डब्ल्यू आर.आई यूनिट एन.टी.आर.एस.गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भून्तर पर देय हो जाना कराना पड़ेगा । यिन धरोहर राशि के कोई कुटेशन स्पीकार नहीं दिया जायेगा ।
 - ३ अनुबन्ध की उचित व न्यूनतम दर ही स्पीकार की जायेगी तथापि भारत/ हिमाद्रि राज्यकार द्वारा निर्धारित श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा उसे निरस्त किया जा सकता है ।
 - ४ दर प्रति माह के हिसाब से प्रस्तुत करना है । अनुबन्ध की अवधि १२ गाह तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम था अधिक भी की जा सकती है । यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है । जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी । इस दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
 - ५ सफल दरदाता को कुल ठेका राशि का ५ प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जागा करवानी होगी धरोहर राशि बैंक ड्रायर जो सी. एस. डब्ल्यू आर.आई यूनिट एन.टी.आर.एस.गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भून्तर पर देय हो अस्या एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवीं रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं । यह राशि ठेकेदार को लिखित ग्रार्थना पर ठेका रान्तोष्जनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी ।
 - ६ ठेकेदार/ प्रतिनिधि के कार्य की समय सीमा कार्यलय स्थान अनुसार होगी ।
 - ७ ठेकेदार/ प्रतिनिधि कम से कम बार्वीं पास कम्प्यूटर प्रशिक्षण का डिप्लोमा होना आवश्यक है । इस के लिये दोनों दस्तावेजों की प्रतिलिपि कुटेशनों के साथ संलग्न करना होगा । सेवा निवृति के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न करना होगा । सफल ठेकेदार को ठेका प्रदान होने से पूर्व नियमानुसार इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा ।
 - ८ ठेकेदार/ प्रतिनिधि पूर्ण रूप से स्वरूप होना चाहिये तथा बीड़ी, शाराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिये । कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता / गैर जिम्मेदार/ अवज्ञा की गई तो ठेका निरस्त किया जा सकता है । ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
 - ९ अनुबन्ध की अवधि में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को केन्द्र की सम्पत्ति को ढंचाना होगा । यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान स्वयं ठेकेदार को नकद करना होगा अन्यथा उनके देय बिल में ऐ काट लिया जायेगा ।
 - १० ठेकेदार/ प्रतिनिधि को किसी असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना चाहिये तथा उन्हें केन्द्र के अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।
 - ११ कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल दो प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि ३०-४५ दिनों में घित्त एवं लेखाधिकारी महोदय, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अधिकानगर द्वारा किया जायेगा । नियमानुसार आयकर तथा अधिकार (जो लागू होगा) काटा जाएगा ।
 - १२ प्रगार्ह अनुमान/ अध्यक्ष महोदय के दिशा -निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा । ठेकेदार/ प्रतिनिधि को कार्यलय के प्रत्येक कार्य की गांगनियता रखनी होगी ।
 - १३ केन्द्र के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/ भी कुटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।
 - १४ ठेकेदार/ प्रतिनिधि को कम्प्यूटर टेस्ट देना अनिवार्य है ।
- यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य हेतु अगली दिनांक लागू होगी ।


कार्यकारी अध्यक्ष
11.09.15

वितरण:

- १) नोटिस बोर्ड, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र, गडसा ।
- २) सैनिक कल्याण बोर्ड, कुल्लू (हि. प्र.) ।
- ३) प्रधान, ग्राम पंचायत गडसा, दियार, शियाह, हुरला व थरास ।
- ४) प्रमारी ऐ. के. एम. युनिट, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान, संस्थान, अधिकानगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कुटेशन सूचना को कृप्या संरक्षण के बैंक साईट में डालने का श्रम करें ।